

Sixteenth Lok Sabha

an>

Title: Papers laid on the Table by Ministers/Members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be Laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.)): I beg to lay on the Table:

- (1) A copy of the Activity/Post Games Report (Hindi and English versions) on 12th South Asian Games, 2016.
- (2) A copy of the Accounts (Hindi and English versions) of the Organizing Committee 12th South Asian Games, 2016, for the period from 29th August, 2015 to 31st March, 2017, together with Audit Report thereon.
- (3) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Organizing Committee 12th South Asian Games, 2016, for the period from 29th August, 2015 to 31st March, 2017.

(Placed in Library. See No.LT 8896/16/18)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. S.O.767(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 22nd February, 2018, appointing the 1st day of April, 2018 as the date on which the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime

Claims) Act, 2017 shall come into force issued under sub-section (4) of Section 18 of the said Act.

(Placed in Library. See No. LT 8897/16/18)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 14A of the Aircraft Act, 1934:-

- (1) The Aircraft (First Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.66(E) in Gazette of India dated 24th January, 2017, together with an explanatory note.
- (2) The Aircraft (Seventh Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.832 (E) in Gazette of India dated 5th July, 2017, together with an explanatory note.
- (3) The Aircraft (Eleventh Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1358 (E) in Gazette of India dated 1st November, 2017, together with an explanatory note.
- (4) The Aircraft (Ninth Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1171 (E) in Gazette of India dated 20th September, 2017, together with an explanatory note.

(Placed in Library. See No. LT 8898/16/18)

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (डिजाइन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी), नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखो।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (डिजाइन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी), नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library. See No.LT 8899/16/18)

- (3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3997 (अ) जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सदस्य सचिव, के.रे.बो. को 06.11.2017 से 3 वर्षों की अवधि के लिए के.रे.बो. के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

(दो) का.आ. 489 (अ) जो 1 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा व्यक्तियों को अधिसूचना की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए के.रे.बो. के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

(तीन) का.आ.490 (अ) जो 1 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21.12.2017 को सभा द्वारा विधिवत्

निर्वाचित डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय, संसद सदस्य (लोक सभा) को 21.12.2017 से 3 वर्षों की अवधि के लिए के.रे.बो. के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

(Placed in Library. See No. LT 8900/16/18)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) इंडियन रोड कांग्रेस, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library. See No. LT 8901/16/18)

- (3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ०440 (अ) जो 31 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (पिंडवाड़ा-उदयपुर और चित्तौड़गढ़-कोटा-बारां-राजस्थान मध्यप्रदेश सीमा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्कों की दरों के बारे में है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library. See No. LT 8902/16/18)